उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-271/ग्यारह्-2-23-9(47)/17-टी.सी.208-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(265)-2023

लखनऊः दिनांकः 01 मार्च, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या क0नि0-2-836/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(06)-2017 दिनांक-30-06-2017 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) अनुसूची I- 2.5% में, क्रम संख्या 91 क के समक्ष, स्तम्भ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रख दी जायेगी, अर्थात्:-

"गन्ने के गुड़, पलमायरा गुड़ सहित सभी प्रकार के गुड़, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किये गए हों; खांडसारी शुगर, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल की गई हो; राब, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल की गई हो";

(ii) अनुसूची II-6% में, क्रम संख्या 186 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)
"186क	8214	पेंसिल शार्पनर्स ";

(iii) अनुसूची III-9% में, क्रम संख्या 302क के समक्ष, स्तम्भ (3) में, अंत में, कोष्ठक और शब्द "[पेंसिल गढ़ने वाले औजारों से भिन्न]" बढ़ा दिये जायेंगे ।

2. यह अधिसूचना तरीख 1 मार्च, 2023 को प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव